कार्यालय जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया(छ.ग.)

विज्ञापन क्र./ 1809/शिक्षा/स्था./ज.पं./शि.क.नि./2012–13 बैकुण्ठपुर, दिनांक11/12/2012

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के पत्र क्र./पंचा.–192/पंग्राविवि/2012/1167 दिनांक 21.08.2012 एवं पत्र क्र./पंचा.–142/पंग्राविवि/22/2012/1583 दिनांक 21.11.2012 के द्वारा जारी छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2012 एवं यथासंशोधित नियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार तथा समय–समय पर प्रकाशित संबंधित नियमों के अधीन विकासखण्ड –बैकुण्ठपुर जिला–कोरिया में स्कूल शिक्षा, सर्वशिक्षा अभियान एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शालाओं/संस्थाओं में शिक्षक (पंचायत) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

सं.क्र.	विषय का नाम	(अ)				(ब)				(स)				(द)				(इ)			
		कुल पद श्रेणीवार				कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से विकलांग वर्ग के लिए पदों की संख्या				कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों की संख्या				कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से मुक्त वर्ग के लिए पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	कला	6	1	8	2	2	1	3	1	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	4	1
2	विज्ञान	10	3	13	4	3	1	4	1	0	0	1	1	1	0	1	1	6	2	7	1
योगः.		16	4	21	6	5	2	7	2	1	0	1	1	2	0	2	1	8	2	11	2

टीपः.

1. UR= अनारक्षित, ST= अनुसूचित जाति, SC= अनुसूचित जनजाति, OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर)
2. रिक्त पदों की संख्या विषयवार, वर्गवार प्राप्त पदों के आधार पर घट–बढ़ सकती है जिसके लिए जनपद पंचायत का निर्णय अंतिम होगा।
3. विकलांग वर्ग में अनारक्षित 1 पद अस्थिबाधित कला संकाय, अ.ज.जा. 1 पद श्रवणबाधित विज्ञान संकाय व अ.पि.व. 1 पद दृष्टिबाधित विज्ञान संकाय के लिए आरक्षित है।
4. पदों की संख्या घटाई या बढ़ायी जा सकती है।

(1) वेतनमान रूपयेः– शिक्षक (पंचायत) के लिये – वेतनमान रूपए. 3800–100–5800

(2) पात्रता की शर्तेः–

1 आवश्यक शैक्षिणिक अर्हताएंः–

(1) न्यूनतम् 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।

अथवा

न्यूनतम् 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी नाम से जाना जाता हो) जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड और क्रिया विधि) विविनयम 2002के अनुसार प्राप्त किया होना चाहिए।

अथवा

न्यूनतम् 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष)।

अथवा

न्यूनतम् 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षाशास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा।

अथवा

प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी नाम से जाना जाता हो)।

अथवा

न्यूनतम् 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा विज्ञान में 4 वर्षीय स्नातक (बी.एल.एड.)।

अथवा

न्यूनतम् 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं में 4 वर्षीय बी.ए.एड./बी.एस.सी. एड. या बी.ए.एड./बी.एस.सी. ।

अथवा

न्यूनतम् 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)।

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए दिशा–निर्देश के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर
जिला-कोरिया (छत्तीसगढ़)

2 आवेदक को कोरिया जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

3 कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

4 कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम् आयु (महिला 18 वर्ष एवं पुरूष 21 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

5 छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट रहेगी तत् संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है) जीवित पंजीयन न होने की स्थिति में आवेदन निरस्त माना जावेगा।

6 आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि वे आवेदन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित सभी अर्हता पूर्ण कर ली है। उसके पश्चात् प्राप्त की गई अर्हता को मान्य नहीं किया जावेगा।

टीपः– (1) आरक्षण नीतिः– आरक्षित श्रेणियों जैसे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्त श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों को अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत अंकों की छूट दी जायेगी।

(2) न्यूनतम् शैक्षणिक अर्हता में शिथिलताः– यदि सहायक शिक्षक (पंचायत) की नियुक्ति में डी.एड. एवम् बी.एड. उपाधिधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जायेगीः–

(क) कक्षा पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु नियुक्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी नाम से जाना जाता हो)।

(ख) कक्षा छठवीं से आठवीं तक अध्यापन हेतु नियुक्ति के लिए शिक्षा विज्ञान में एकवर्षीय उपाधि।

उपरोक्त छूट 31 मार्च 2014 तक प्रभावशील रहेगी। ऐसी शिथिलता के फलस्वरूप नियुक्त शिक्षा शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर न्यूनतम् अर्हता ग्रहण करनी होगी।

अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में न्यूनतम् प्राप्त अंकः–

(क) उच्चतर माध्यमिक या कमकक्ष आवेदकों को कक्षा पहली से पांचवीं में अध्यापन के लिए न्यूनतम् 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।

(ख) स्नातक आवेदकों को कक्षा छठवीं से आठवीं में अध्यापन के लिये न्यूनतम् 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्त श्रेणी के उच्च माध्यमिक या समकक्ष तथा स्नातक आवेदकों को न्यूनतम् 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।

3 आयुसीम दिनांक 11.12.2012 को 18वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु सीमा में छूट छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए समय–समय पर आयु सीमा में प्रदान की गई सभी प्रकार की छूट शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के लिए भी लागू होगी।

4 भर्ती का तरीका :–

1 मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा साक्षात्कार नहीं लिया जावेगा।
सहा.शिक्षक (पंचायत) की नियुक्ति के लिए 10 वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक, 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक, डीएड/बी.एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक तथा टी.ई.टी. परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक दिए जाएंगे।

2 चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनपद पंचायत का होगा।

3 चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4 चयनित उम्मीदवार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।

5 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

6 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी एवं सेवा संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है।

7 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अथवा किसी भी अन्य विभाग के द्वारा अवचार के दोषी/निलंबित/बर्खास्त या ब्लैकलिस्टेड किया हुआ व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

8 किसी भी प्रकार का फर्जी अथवा असत्य प्रमाण पत्र/दस्तावेज नियुक्ति हेतु प्रस्तुत करना गंभीर अपराध है। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का फर्जी अथवा असत्य प्रमाण पत्र संलग्न कर असत्य अभिकथन / उदघोषणा करता है अथवा जांच में प्रमाणपत्र/ दस्तावेज असत्य पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की दावेदारी/ नियुक्तिनिरस्त कर उसके विरूद्ध आरक्षी केन्द्र में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।

5 आवेदन पत्र जमा करने के संबंध में :–

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर
जिला - कोरिया (छत्तीसगढ़)

1 रिक्त पदों की जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप नियम एवं शर्तें जनपद पंचायत के सूचना पटल (नोटिस बोर्ड) / जिला रोजगार कार्यालय कोरिया / कोरिया जिले के वेबसाइट **www.korea.gov.in** या **www.korea.nic.in** पर देखा जा सकता है। आवेदक को जनपद पंचायत द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप में ही आवेदन जमा करना होगा। आवेदन पत्र सादे कागज में हस्त लिखित या टंकित कराकर आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

2 सक्षम अधिकारी के जारी किये हुए प्रमाण पत्रों को ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी–राजस्व) द्वारा जारी किया हुआ ही मान्य होगा किन्तु नियुक्ति के समय आदिम जाति अनुसंधान संस्थान रायपुर / अम्बिकापुर द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।

3 आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पाकर राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

4 आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा 02 नग टिकट (रजिस्टर्ड) लगा लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है।

5 आवेदन पत्र जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर में व्यक्तिगत / रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालयीन समय के दौरान दिनांक 05.01.2013 तक संध्या 5:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर.

क्रमांक / 1810 / शिक्षा / स्था. / ज.पं. / शि.क.नि. / 2012–13 बैकुण्ठपुर, दिनांक 11 / 12 / 2012

प्रतिलिपिः–

1 कलेक्टर कोरिया की ओर सूचनार्थ।
2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया की ओर सादर सूचनार्थ।
3 सहायक आयुक्त आदिवासी विकास / जिला शिक्षा अधिकारी / जिला परियोजना समन्वयक (रा.गां.शि.मि.) कोरिया की ओर सादर सूचनार्थ।
4 जिला रोजगार अधिकारी कोरिया को सूचनार्थ।
5 जिला सूचना अधिकारी (एन.आई.सी.) कोरिया को सूचनार्थ एवं अपलोड करने हेतु।
6 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड–बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ।
7 सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड–बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ।
8 खण्ड स्रोत समन्वयक राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला–कोरिया की ओर सूचनार्थ।
9 कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर

सहायक शिक्षक (पंचायत) भर्ती हेतु आवेदन पत्र

कार्यालयीन उपयोग हेतु आवेदन पत्र क्रमांक..........

राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित वर्तमान पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करें।

प्रति,

....

....

....

विषयः– सहायक शिक्षक (पंचायत)भर्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में।

1 आवेदित पद का नाम..विषय का नाम....................................

2 आवेदक/ आवेदिका का पूरा का नाम..

3 पिता/पति का नामः–..

4 लिंग (महिला/पुरूष):–...

5 जाति वर्ग–(अ.जा./अजजा/अ.पि.व./सामान्य):–..

6 जन्मतिथि अंको में....................................शब्दो में.. ....

(दिनांक 01/12/2012 की स्थिति मेः– वर्ष..........................माह.......................दिन.....................

7 यदि आयु सीमा में छूट की पात्रता है तो किस आधार पर विवरण देवें।...

....

8 पत्र व्यवहार का पताः– ....

....

....पिन..

9 आवेदक का स्थाई पताः– ....

....

....पिन...

10 जिला रोजगार कार्यालय कोरिया का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांकः–..

11 कोरिया जिला का वैध मूल निवास प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी का पद...
एवं जारी दिनांक..

12 कोरिया जिला का स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी का पद..
एवं जारी दिनांक...............................(अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)) से कम स्तर का नहीं ।

13 आवेदक का विवाह 18/21 वर्ष पूर्ण करने पर हुआ है तथा वर्तमान में जीवित संतानो की संख्या........
है। इनमें से 26 जनवरी 2001 के पश्चात जन्म लेने वाले जीवित संतान की संख्या.....................है।

14 शैक्षणिक योग्यता (अंकसूची की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड / वि.वि.का नाम व संस्था	विषय	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हाईस्कूल							
2	हायर सेकेण्ड्री							
3	डी.एड. /बी.एड							
4	टी.ई.टी							
5	अन्य							

15 क्या विकलांक / भूतपूर्व सैनिक है यदि हां तो प्रमाण पत्र संलग्न करें:—
विकलांग (हां / नही)..............................विकलांग का प्रकार................................प्रतिशत..................

16 संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:—

1..2..3..................................

4..5..6..................................

7..8..9..................................

10..11..12................................

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम...)

घोषण— पत्र

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। आवेदित पद के लिए मै विज्ञापन के अनुसार निर्धारित योग्यता रखता / रखती हूँ। मुझे जानकारी है, कि इसमे दी गई जानकारी या सूचना गलत / असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीदवारी रदद की जा सकती है। इस संबंध में कोई जानकारी त्रुटि पूर्ण एवं गलत पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के मेरी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकती है।

स्थान............................
दिनांक.........................

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम...)